प्रताप नगर में दिनदहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या

काले रंग की थार गाड़ी में सवार होकर आए थे बदमाश

- गैंगवार की यह घटना प्रताप नगर में गोदावरी अपार्टमेंट के पास हुई
- बदमाशों ने युवक की गाड़ी को टक्कर मारी और भागते हुए उसे गोली मार दी

जयपुर (कासं)। राजधानी के प्रताप नगर इलाके में गुरुवार शाम हुई गैंगवार से सनसनी फ़ैल गई। इस खूनी खेल में विरोधी गुट के बदमाशों ने एक बदमाश की सरेआम गोली मारकर हत्या दी। हमलावर काले कलर की थार जीप में आए थे, जिन्होंने आते ही पहले मृतक की स्कॉर्पियो कार को टक्कर मारी, फिर भागते समय गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश में ए श्रेणी की नाकाबंदी करवाई, लेकिन हत्यारों का सुराग नहीं लगा। पुलिस ने एफएसएल की मदद से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। पुलिस मोबाइल नंबर और सीसीटीवी कैमरों की मदद से बदमाशों की तलाश कर रही है।

प्रताप नगर थानाधिकारी भजन लाल मीणा ने बताया गैंगवार में महेन्द्र मीणा (28) निवासी गांव डिगारिया जिला दौसा की गोली मारकर हत्या की गई है। उसके शव को एसएमएस अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया है। परिजनों के पहुंचने पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। मृतक महेन्द्र मीणा आपराधिक प्रवृत्ति का था, जिसके खिलाफ मारपीट और जानलेवा हमले के मामले दर्ज है। पुलिस की शुरआती जांच में वारदात का मुख्य कारण वर्चस्व की लडाई के चलते चल रही रंजिश होना सामने आया है।

पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक महेन्द्र मीणा अपने साले संदीप जीवली के साथ गोदावरी अपार्टमेंट के बाहर सी-ब्लॉक के पास पार्क के सामने रमेश तिवाड़ी की चाय की दुकान पर बैठा था। उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी। इस दौरान शाम करीब 5 बजे थार गाड़ी में सवार होकर बदमाश वहां पहुंचे। बदमाशों ने महेन्द्र की स्कॉर्पियो गाड़ी को सामने से टक्कर मारी। महेन्द्र और उसका साला जान बचा कर भागने लगे। संदीप पानी कैंपर की गाड़ी की आड़ में छिप गया, लेकिन भागते हुए महेंद्र मीणा को बदमाशों ने पीठ में गोली मार दी। वह थोड़ी दूर चला और गिर गया। उसे जीवनरेखा अस्पताल ले जाया गया, जहां से सवाई मान सिंह अस्पताल रैफर किया गया। जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया।

प्रदेश में 5 नए करोना संक्रमित मिले गुरूवार को

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में गुरूवार को थोड़ी गिरावट के बाद 5 नए करोना संक्रमित मिले हैं। वहीं 14 मरीज रिकवर भी हुए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस घटकर 70 रह गए हैं।

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में 3 जिलों में 5 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले बुधवार को 13 रोगी पाए गए थे। इधर आज जयपुर और उदयपुर में 2-2 तथा चित्तौड़गढ़ में एक नया संक्रमित मिला है। इस बीच राज्य में 3768 जांचे की गई। राज्य में गुरूवार को फिर रिकवरी में बढ़ोत्तरी हुई है। इस दौरान 14 मरीजों के ठीक होने से एक्टिव केस घटकर 70 रह गए हैं। राजधानी जयपुर में आज 4 संक्रमितों के रिकवर होने से एक्टिव केस घटकर 28 रह गए हैं। राज्य में करोना के कारण बीते दिनों हो रही इक्का-दुक्का मौतों का सिलसिला भी अब थम गया है। हालांकि अब तक इस बीमारी से 9653 लोगों की मौत हो चुकी है।

संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी प्रकरण में दो आरोपी गिरफ्तार

जयपुर (कासं)। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी प्रकरण में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया हैं। एसओजी पकड़े हुए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अतिरिक्त महानिदेशक अशोक राठौड़ ने बताया कि संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी ने निवेशकों की जमा राशि का गबन किया

- आरोपी जसंवत और गिरधर ने निवेशकों से ठगी के करोड़ों रुपये से शैल कम्पनियों के शेयर खरीदे थे

स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी गबन मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया हैं।

था। इस मामले में बाड़मेर निवासी जसवन्त सिंह और सालावास जोधपुर निवासी गिरधर सिंह को गिरफ्तार किया है। इनके खातों में सोसायटी संचालकों ने निवेशकों से ठगे हुए करोड़ों रुपए नकद जमा किए थे। आरोपी जसंवत और गिरधर ने इस रकम से शैल कम्पनियों के शेयर भी खरीदे थे।

एडीजी अशोक राठौड़ ने बताया कि संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी ने राजस्थान और गुजरात में 237- शाखाएं खोलकर करीब 2 लाख निवेशकों द्वारा निर्देशित हजारों करोड़ रुपए का गबन किया था। एसओजी अब तक सोसायटी संचालक विक्रम सिंह समेत 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चुकी है। एसओजी की जांच में सामने आया है कि सोसायटी संचालकों ने आपराधिक षडयंत्र रखकर दस्तावेजी कूटरचना कर शाखाएं खोलकर ग्राहकों से हजारों करोड़ रुपये निवेश कराए। इस रकम को शैल कम्पनियों रियल एस्टेट तथा विदेशों में निवेश किया। कुल 33 वर्चुअल शाखाओं के जरिए करीब 60 हजार फर्जी ऋण आवेदन पत्र एवं 30 लाख फर्जी दस्तावेज तैयार कर हजारों करोड़ रुपए के ऋणों को लेखा पुस्तकों में वर्णित किया। फोरेंसिक ऑडिट एवं अनुसंधान से पाया गया कि सोसायटी संचालकों ने फर्जी ऋण दिखाकर कर निवेशकों की जमा राशि से गिरधर सिंह और जसवंत सिंह के खातों में करोड़ों रुपए नकद जमा किए गए। आरोपी जसंवत और गिरधर द्वारा निवेशकों की राशि से शैल कम्पनियों के शेयर भी खरीदे गए।

राशन डीलर के अटैचमेंट में अनियमितता, मांगा जवाब

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राशन डीलर की अटैचमेंट प्रक्रिया में अनियमिता को लेकर खाद्य सचिव, दौसा कलेक्टर और डीएसओ सहित अन्य से जवाब मांगा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश राम करण मीणा की याचिका पर दिए।

याचिका में सतीश खंडेलवाल और अधिवक्ता श्याम गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर प्रावधान किया था कि किसी जगह राशन डीलर नहीं होने पर संबंधित ग्राम पंचायत की निकटतम ग्राम पंचायत के राशन डीलर का अटैचमेंट कर उसे वितरण के लिए अधिकृत किया जा सकता है और यह अटैचमेंट छह माह की अवधि के लिए हो सकता है। याचिका में कहा गया कि ठीकरिया ग्राम पंचायत में कोई राशन डीलर नहीं होने के कारण पास की आलूदा ग्राम पंचायत के याचिकाकर्ता डीलर को राशन वितरण के लिए अधिकृत किया गया था। वहीं एक माह बाद याचिकाकर्ता को हटाकर करीब दस किलोमीटर दूर दूसरी पंचायत समिति में स्थित राशन डीलर को अटैच किया गया। इस दौरान छह माह की अधिकतम अवधि का भी ध्यान नहीं रखा गया।

याचिका में कहा गया कि इस तरह दूर के राशन डीलर को अटैच करना सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ है। इसके अलावा उस राशन डीलर पर कालाबाजारी करने की शिकायतें भी दर्ज हैं। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

सूचना व जनसम्पर्क के काडर सुदृढ़ीकरण की मांग

जयपुर, (का.सं.)। राज्य सरकार के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के राज्य और अधीनस्थ सेवाओं के संगठन प्रसार (पब्लिक रिलेशंस एंड अलाइड सर्विसेज एसोसिएशन ऑफ राजस्थान) ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम काडर सुदृढ़ीकरण के लिए फिर से ज्ञापन दिया है।

प्रसार ने इसी वर्ष जुलाई माह में नवीन पदों के सृजन तथा वर्तमान पदों के पुनर्गठन की मांग की थी, जिसके बाद नवम्बर माह में मात्र 6 पद ही अपग्रेड करने और एक भी नया पद सृजित नहीं करने से जनसम्पर्क तथा फोटो सेवा के अधिकारी निराश और हतोत्साहित हैं।

प्रसार अध्यक्ष विजय खण्डेलवाल ने बताया कि विभिन्न विभागों तथा जिलों में समय के साथ-साथ प्रचार-प्रसार के माध्यम बढ़े हैं, इसलिए राज्य सरकारी की जनकल्याणकारी नीतियों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए जनसम्पर्क सेवाओं के अधिकारियों के नवीन पद शीघ्र सृजित किए जाने तथा विभिन्न पदों के पुनर्गठन की आवश्यकता है।

राजस्थान विश्वविद्यालय में चीनी भाषा अध्ययन केन्द्र खुलेगा

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान विश्वविद्यालय में चीनी भाषा का एक अध्ययन केन्द्र खोले जाने को लेकर आज चीनी दूतावास से जुड़े राजनयिकों के साथ विश्वविद्यालय द्वारा व्यापक विचार विमर्श किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय में चीनी राजनयिकों का एक 6 सदस्य प्रतिनिधिमंडल आज विश्वविद्यालय पहुंचा। भारत में चीनी दूतावास के फर्स्ट सैकेटरी व डिप्टीडायरेक्टर (पॉलिसी प्लानिंग सैक्शन) के श्रीवांगटोंग के नेतृत्व मे आए इस दल ने आज कुलपति प्रो. राजीव जैन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के इण्टरनेशलन कॉपरेशन सैल की निदेशक प्रो. रश्मि जैन, यूरोपियन भाषा विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. निधि रायसिंघानी, प्रो. एस.एल. शर्मा एवं प्रो. एन.के. पाण्डेय के साथ विश्वविद्यालय में चाइनीज भाषा का एक अध्ययन केन्द्र खोले जाने के सन्दर्भ में अपनी इच्छा जाहिर करते हुए इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श किया।

विश्वविद्यालय में आज आए इस चाइनीज प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान में चीन से भारी संख्या में आने वाले पर्यटकों के साथ ही चीन के विभिन्न विषयों की जानकारी के लिए चीनी भाषा के अध्ययन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को इस चर्चा के दौरान प्रमुखता से रखा।

चीनी प्रतिनिधिमंडल ने इस अवसर पर यह भी जानकारी दी कि राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों को चीन के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में अध्ययन छात्रवती जैसी योजनाओं पर भी इसी के साथ विचार किया जा सकता है। चीनी प्रतिनिधिमंडल ने भारत और चीन के बीच उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संबंधों को और अधिक मजबूत करने की दृष्टि से हिन्दी भाषा के अध्ययन केन्द्रों को चीन में प्रारंभ किए जाने की स्थिति के सन्दर्भ में भी इस अवसर पर जानकारी दी।

जल योजनाओं के लिए 1577 करोड़ मंजूर

जयपुर, (का.सं.)। राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थिति एवं छितराई बसावट को देखते हुए हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन एक महत्वपूर्ण योजना है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल जीवन मिशन के तहत प्रदेशभर में 166 ग्रामीण जलप्रदाय परियोजनाओं के लिए 1 हजार 577 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी है।

गहलोत की इस स्वीकृति से जल जीवन मिशन के अंर्तगत प्रदेश में चल रहे विभिन्न कार्यों को गति मिलेगी तथा निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण हो सकेंगे, जिससे गांव-ढाणी तक लोगों को नल से जल उपलब्ध हो सकेगा।

कर्मचारियों की सीजे से हुई वार्ता, सामूहिक अवकाश जारी

जयपुर, (का.सं.)। न्यायिक अफसर के निवास पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सुभाष मेहरा के आत्मदाह से जुड़े मामले को लेकर कर्मचारी नेताओं ने जोधपुर जाकर मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्थल से वार्ता की। संघर्ष समिति के अध्यक्ष बद्रीलाल चौधरी ने बताया कि सीजे ने मांगों पर सकारात्मक संकेत दिए हैं और घटना को लेकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आश्वासन दिया है।

वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश 14वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान हजारों मामलों की सुनवाई नहीं हो सकी और कोर्ट ने इन मुकदमों में आगे की तारीख दी। न्यायिक कर्मचारी मामले की सीबीआई जांच, न्यायिक अफसर को एपीओ करने, मृतक के परिजनों को पचास लाख रुपए मुआवजा सहित

- न्यायिक अफसर के निवास पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सुभाष मेहरा के आत्मदाह से जुड़ा मामला

एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि एनडीपीएस मामलों की विशेष कोर्ट में पदस्थापित कर्मचारी सुभाष मेहरा ने 10 नवंबर को न्यायिक अधिकारी के घर की छत पर आत्मदाह कर लिया था। न्यायिक कर्मचारियों का कहना है कि सुभाष की हत्या हुई है। इसलिए मामले की सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए।

दिव्यांगजन दिवस पर समारोह कल

जयपुर। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर 3 दिसम्बर को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली के आतिथ्य एवं शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की अध्यक्षता में जयपुर स्थित भगवंत सिंह मेहता सभागार, ओटीएस में आयोजित होगा। कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ विशेष योग्यजनों एवं विशेष योग्यजनों के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों एवं संस्थाओं को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

समारोह में विभिन्न श्रेणीयों के तहत चयनित व्यक्तियों और संस्थाओं को 10 हजार रूपये नगद राशि, स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किए जाएंगे। कार्यक्रम में वर्ष 2022-23 में विशेष योग्यजनों के लिए स्कूटी वितरण योजना का सांकेतिक शुभारम्भ भी किया जाएगा।

बिना प्रावधान क्यों अपनाई नॉमलाईजेशन पद्धति?

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2021 में अधिक अंक लाने के बावजूद नियुक्ति नहीं देने और बिना प्रावधान नॉमलाईजेशन करने पर गृह सचिव, एडीजी भर्ती और जयपुर पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा है। न्यायाधीश महेन्द्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश लेखराज व अन्य की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने जयपुर कमिश्नरेट के आयोजित कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा में शामिल हुआ था। विभाग की ओर से जारी परीक्षा परिणाम में उसकी पारी में परीक्षा देने वाले बहुत कम परिक्षार्थियों का ही चयन हुआ। वहीं विभाग ने नॉमलाईजेशन कर याचिकाकर्ताओं के अंक कम कर दिए। जबकि भर्ती विज्ञापन में नॉमलाईजेशन करने शर्त ही नहीं थी। वहीं परिणाम जारी करने के दौरान न तो सफल अभ्यर्थियों के कट ऑफ बताए गए और ना ही उनका वर्ग सार्वजनिक किया गया। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं के अधिक अंक होने के बावजूद भी उसे नियुक्ति से वंचित कर दिया गया।

- कांस्टेबल भर्ती-2021 में अधिक अंक लाने के बावजूद नियुक्ति नहीं देने का मामला

नड्डा की सभा में कुर्सियां रही खाली : खाचरियावास

जयपुर, (का.प्र.)। भाजपा की ओर से प्रदेश में निकाली जा रही जन आक्रोश रैली की शुरुआत करने आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली को लेकर गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि दावे किए गए थे कि 10 हजार लोग इस रैली में पहुंचेंगे, लेकिन अधिकतर कुर्सियां खाली रह गई।

गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस वार्ता में कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंचे थे। ऐसे में भाजपा की ओर से दावा किया जा रहा था कि करीब 10 हजार लोग जन आक्रोश रैली में शामिल होंगे, लेकिन अधिकतर कुर्सियां खाली रह गई। खाचरियावास ने कहा कि मेरे पास जो फोटो आई है, उससे यह बात साफ हो गई है कि बीजेपी के नेता, विधायक, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद जयपुर में भीड़ नहीं जुटा पाए। खाचरियावास ने दावा किया कि बीजेपी कि इस रैली में महज 150 से 200 लोग ही पहुंचे।

राज्यपाल कलराज मिश्र को गुरुवार को राजभवन में प्रो.आर.एन. मिश्रा तथा डॉ.पी.के. शर्मा ने अपनी पुस्तक 'प्रैक्टिकल ज्योग्राफी' की प्रथम प्रति भेंट की। मिश्र ने पुस्तक के लिए लेखकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस पुस्तक में प्रायोगिक भूगोल को सरल, रोचक और क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रायोगिक भूगोल के पाठकों के लिए उपयोगी 23 अध्यायों की इस पुस्तक में मानचित्र कला के विकास, मानचित्र, उच्चावच निरूपण, भूगर्भीय मानचित्र, सांख्यिकीय विधियां एवं आंकडों के निरूपण आदि की आधारभूत सामग्री को मौसम मानचित्र, स्थलाकृति पत्रक और भौगोलिक सूचना तंत्र आदि के साथ संजोया गया है।

तीये की बैठक

अत्यंत दु:ख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पूजनीय श्री हरिशंकर जी का स्वर्गवास दिनांक 30.11.2022 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 02.12.2022 (शुक्रवार) को दोपहर 2.00 से 3.00 बजे तक आदर्श विद्या मंदिर, अम्बाबाडी सर्किल, जयपुर पर होगी। शोकाकुल- मंजु देवी (धर्मपत्नी), श्वेता-सुनील (पुत्री-दामाद), विजय-नीलम, मनोज-सरिता, राजकुमार-पूनम (भाई-बहु) एवं समस्त गर्ग परिवार (कोटपूतली वाले) संपर्क-9549404040,9660001200 ससुराल पक्ष :- ग्यारसीलाल, पवन कुमार, कुंज बिहारी एवं सुखदेव जी का परिवार (खंडेला-गुहाला वाले)

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

नाम परिवर्तन

मैंने मेरा नाम इस्लामुद्दीन (Islamuddin) पुत्र सलाउद्दीन से बदलकर इस्लाम (Islam) उद्दीन (Uddin) रख लिया है। इस्लाम (Islam) मेरा (Given name) है व उद्दीन (Uddin) मेरा Surname है। भविष्य में मुझे इस्लाम उद्दीन के नाम से जाना जावें। पता-4261, घोड़ा निकास रोड, रामगंज बाजार, जयपुर।

मैंने अपना नाम सुमेर सिंह से बदलकर सुमेर सिंह उदावत पुत्र श्री जगदीश सिंह उदावत कर लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए।

I Army No. 18006777F Battul Kasi Koteswara Rao Address: 60 Engineer Regt. C/o 56 APO Area, Jaipur. In my army record my Wife name Janga Vengamma are wrongly mention her correct name Battula Vengamma.

I have changed my name from Javed Ali to Mohd Javed Khan for all purpose R/o Vill-Gogor, Post-Selu, Sawai Madhopur.

खोया-पाया

मेरे पुत्र यश प्रकाश भारद्वाज का पासपोर्ट नं. जेड-3213201 छोटी चौपड़ से अजमेरी गेट के बीच कहीं खो गया है। मिलने पर सूचित करें। गोविन्द शरण शर्मा मो.नं. 9314278773

मेरे मकान 65/229, मानसरोवर, जयपुर राजस्थान आवासन मण्डल का आवंटन-पत्र कहीं खो गया है। कृपया मिलने पर संपर्क करें। -9219374836

मेरी दुकान 28/आरएसएम/60, सेक्टर-28, प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर का मूल अलाटमेंट लैटर गुम हो गया है। मिलने पर संपर्क-8078671687

मेरा मकान संख्या 263/735 आर एच बी प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर का रा.आ.म. से जारी मूल अदैय प्रमाण पत्र व कन्वेन्स डीड एवं परप्युचयुल डीड मुझसे कहीं गुम हो गई है कि बीजेपी के नेता, विधायक, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद जयपुर में भीड़ नहीं जुटा पाए। खाचरियावास ने दावा किया कि बीजेपी कि इस रैली में महज 150 से 200 लोग ही पहुंचे।

सम्पत्ति-क्रय-विक्रय

इंद्रागांधीनगर/मालवीयनगर/सिद्धार्थ नगर/प्रतापनगर, (JLN-रोड/ रिंगरोड़), जगतपुरा/मॉडलटाउन आसपास सभी हाउसिंगबोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-रेजिडेंशियल/कमर्शियल/एग्रीकल्चर/ इण्डस्ट्रियल/ हॉस्पिटल/इन्स्टीट्यूशन्स/ फार्महाउसेस/रिसोर्ट, लेण्डस -(बेचने-खरीदने) हेतुः-भावना एंटरप्राइजेज, रियलिटी चेम्बरः-7599912345

कार्यालय उपआवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in.
Phone No. 0141-2782772
क्रमांक- DHC-II/2148 दिनांक-22.11.2022

जाहिर आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 10/593 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 90.00 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्री राजकुमार राजवंशी पुत्र श्री वासुदेव प्रसाद गुप्ता को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 318 दिनांक 03.02.1988 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 29.03.1988 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 1947 दिनांक 07.07.2000 के द्वारा श्री राजकुमार राजवंशी पुत्र श्री वासुदेव प्रसाद गुप्ता के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। तत्पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 360 दिनांक 01.05.2009 के द्वारा श्रीमती मिथलेश राजवंशी पत्नी स्व. श्री राजकुमार राजवंशी के नाम मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर मे दिनांक 09.06.2009 को करवाया गया। इसके पश्चात श्रीमती मिथलेश राजवंशी की मृत्यु दिनांक 21.05.2021 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री रमित राजवंशी पुत्र स्व. श्री राजकुमार राजवंशी ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण संबंधी प्रपत्र एवं पंजीकृत हकत्याग पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध मे किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दवे, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर उक्त गर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री रमित राजवंशी पुत्र स्व. श्री राजकुमार राजवंशी के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचनाउप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है। सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय,
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
आम जाहिर सूचना
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या-14/MB/03 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 129.760 वर्ग मीटर का आवंटन श्री पुरूषोत्तम लाल उदयवाल पुत्र श्री मांगी लाल को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र कमांक 439 दिनाक 19.04.2011 जारी किया गया था। उनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 23.05.2011 को प्राप्त कर लिया गया। श्री पुरूषोत्तम उदयवाल की मृत्यु दिनांक 14.05.2021 को हो जाने के कारण श्रीमती चंदा देवी पत्नी स्व. श्री पुरूषोत्तम उदयवाल के द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास का प्रतिस्थापन अपने नाम करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता- श्रीमती हंदा देवी पत्नी स्व. श्री पुरुषोत्तम उदयवाल के पक्ष में उक्त आवास के प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी।
सम्पदा प्रबंधक- वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय,
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
आम जाहिर सूचना
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या- 6/8 मालवीय नगर, जयपुर क्षेत्रफल 211.05 वर्ग मीटर का आवंटन श्री पांचूलाल मीना पुत्र श्री नारायण लाल मीना को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र कमांक 465 दिनांक 21.07.1985 जारी किया गया था। उनके द्वारा आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 27.11.1992 को करवाया गया। श्री पांचूलाल मीणा की मृत्यु दिनांक 25.06.2003 को हो जाने के कारण श्रीमती मनफूल मीणा स्व. श्री पांचु लाल मीणा के द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, हक त्याग पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास का प्रतिस्थापन अपने नाम करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता- श्रीमती मनफूल मीणा स्व. श्री पांचु लाल मीणा के पक्ष में उक्त आवास के प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी।
सम्पदा प्रबंधक- वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर
(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी टोंक रोड, जयपुर-15)
क्रमांकः एच-13(उपा. आयो.II/नगिज/2022/543 दिनांकः 21.11.2022
सार्वजनिक सूचना
भूखण्ड सं. 6 से 16, ग्रीन वाटिका, नांगल जैसा बोहरा (सुभाष सिन्धी गृह निर्माण सहकारी समिति लि.) जयपुर का जविप्रा द्वारा क्रमशः भू.सं. 6, 10-11, 14 एवं 15 श्री ओमप्रकाश लोरा, पुत्र श्री कल्लुराम लोरा का क्षेत्रफल क्रमशः 377.77, 355.31, 311.11 एवं 311.11 व.गा. भू.सं. 7, 12 एवं 13 श्री कजोड़मल सैनी पुत्र श्री सोहन लाल सैनी, का क्षेत्रफल क्रमशः 398.88, 311.11 एवं 311.11 व.गा. भू.सं. 8, 9 एवं 16, श्री अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मातादीन अग्रवाल, क्रमशः 400.00, 450.00 एवं 311.11 व.गा. भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। आवेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र (अण्डरटेकिंग), रजिस्टर्ड पट्टा मय साइट प्लान की फोटो प्रति, रजि. विक्रय पत्रों की फोटोप्रतियां एवं अन्य चैन दस्तावेजों की फोटोप्रतियों के आधार पर उक्त भूखण्डों का पुनर्गठन पश्चात नाम हस्तान्तरण चाहा गया है। आवेदकगण द्वारा उपलब्ध कराई गई मूल दस्तावेजों की फोटो प्रतियों के आधार पर उक्त भूखण्डों का डॉ. प्रेरणा राठौड़ पुत्री डॉ. प्रताप सिंह शेखावत, डॉ. प्रकाष सिंह शेखावत पुत्र श्री गोविन्द सिंह, श्री अक्षय प्रताप सिंह एवं श्री गौरव प्रताप सिंह पुत्रान डॉ. प्रताप सिंह शेखावत के पक्ष में उक्त भूखण्डों का पुनर्गठन पश्चात नाम हस्तान्तरण जारी किया जाना है। उक्त भूखण्डों का पुनर्गठन पश्चात नाम हस्तान्तरण बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, आयोजना-द्वितीय) में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।
उपायुक्त (आयोजना द्वितीय)
नगर निगम ग्रेटर, जयपुर